


नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

बीरबल बनाम मातूराम वगै०
मु०नं० 80/2017
दावा अ०धा० 53, 188

दिनांक - 15.12.2020 वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 39, 238, 239, 459/44, 460/44 कुल किता 5 कुल रकबा 17.30है० वाके ग्राम फरट का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2019/2713 दिनांक 20.11.2019 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड, (अभिलेख) सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

